

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.12(6)शिक्षा-5/2014  
निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा,  
बीकानेर, राजस्थान।

जयपुर, दिनांक: 27.4.15

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2015-16 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देशों के टाईम फ्रेम में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.12 (6) शिक्षा-5/ 2014 जयपुर, दिनांक: 16.2.2015 के द्वारा सत्र 2015-16 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशानुसार इन दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित टाईम फ्रेम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	विवरण/गति विधि	1 अप्रैल से सत्र प्रारम्भ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियाँ	1 मई या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को सत्र प्रारम्भ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियाँ	1 अप्रैल से सत्र प्रारम्भ करने वाले वह विद्यालय जो दिनांक 27.03.15 की लॉटरी में शामिल नहीं हुए तथा 1 मई या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को सत्र प्रारम्भ करने वाले समस्त विद्यालयों के लिये संशोधित तिथियाँ	दायित्व निवारण
1	आवेदन पत्रों का वितरण	19 मार्च तक	20 अप्रैल तक	29 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
2	आवेदन पत्र प्राप्ति	20 मार्च तक	21 अप्रैल तक	30 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
3	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की विद्यालयों द्वारा वेब पोर्टल पर प्रतीक्षी करना	25 मार्च तक	27 अप्रैल तक	03 मई तक	संबंधित निजी विद्यालय
4	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	25 मार्च तक	27 अप्रैल तक	03 मई तक	संबंधित अभिभावक
5	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का कशियता कम निर्धारण	27 मार्च तक	29 अप्रैल तक	05 मई	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
6	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालयों पर उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना	08 अप्रैल तक	07 मई तक	13 मई तक	संबंधित अभिभावक
6	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	09 अप्रैल से	08 मई से	14 मई से	संबंधित निजी विद्यालय
7	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एनटी	31 जुलाई तक	31 जुलाई तक	31 जुलाई तक यथावत	संबंधित निजी विद्यालय

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अतः इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूर्वानुसार तत्काल सूचित करावे तथा एनआईसी के माध्यम से वेब पोर्टल पर आवश्यक संशोधन को अपलोड करावे।

भवदीय,

शासन उप सचिव

## कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/निःशुल्क प्रवेश/18878/15-16/56

दिनांक:- 28.4.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

- शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प. 12(6)शिक्षा-5/2014 दिनांक 27.04.15 के क्रम में सूचनार्थ।
- निजी सचिव, आर्युक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर
- निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी/उप निदेशक (माध्यमिक) को उपरोक्त टाईम फ्रेम के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु पाबन्द करवाने का श्रम करावे।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
- प्रमुख प्रणाली विश्लेषक NIC केन्द्र, शासन सचिवालय जयपुर।
- उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी/बीईओ(प्राशि) को उक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु पाबन्द करें।
- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा.....को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त टाईम फ्रेम के लिए आवश्यक विज्ञप्ति अपने स्तर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित करावे जिससे सभी गैर सरकारी विद्यालयों, अभिभावकों एवं संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब जानकारी मिल सके।
- रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर